

Fax : 011-23748024
E-mail : eic@eicindia.gov.in
Web : www.eicindia.gov.in
ग्राम : निर्यातगुण
Grams : SHIPMENTQUALITY
दूरभाष : 23365540, 23341263, 23748189
Phone :



भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
तीसरी मंजिल, एन.डी.वाई.एम.सी.ए. कल्चरल सेंटर बिल्डिंग)
1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001

EXPORT INSPECTION COUNCIL OF INDIA

(An ISO 9001:2008 Certified Organisation)
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
3rd Floor, NDYMCA Cultural Centre Building,
1 Jai Singh Road New Delhi - 110001

सं.निनिप/डी (क्यू/सी)

No. EIC/D (Q/C)

145 (54) / 2013 - 14 / 4927

दिनांक :

Dated :

19 September 2013


ORDER

Subject: Appeal made by Shri Praveen Sakhuja under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005

Shri Praveen Sakhuja vide his letter dated 29.08.2013 has made an appeal under Section 19 (1) of the Right to Information Act, 2005 against CPIO, EIC for not providing the information sought by him vide his application dated 10.07.2013.

On enquiry, it has been informed by the CPIO that the information sought vide application-dated 10.07.2013 received through EIA - Delhi concerning copies of certain gazette notifications was furnished by him to Shri Praveen Sakhuja vide letter dated 06.09.2013 (copy enclosed). Copy of Gazette of India dated 21.11.2009 in respect of Director, EIC is now enclosed.

As there is no denial of information, the appeal filed by Shri Sakhuja stands disposed of.


(Rajiv Raizada)
Additional Director &
Appellate Authority

Shri Praveen Sakhuja,
LD-119, SFS Flats, Pitampura, Delhi - 110088
Encl.: As above

- Copy to: 1. Shri Parmod Siwach, CPIO, EIC, New Delhi.
2. Shri Rajesh Ranjan, AD (T), EIC For uploading on the website.
3. Hindi Cell - for translation

(EIA / 13 / 76)

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 12 अक्टूबर 2009

सं. ए.-19011/21/2001-स्था. I--राष्ट्रपति द्वारा डीजीएफटी मुख्यालय से अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार का एक पद अस्थायी रूप से वाणिज्य विभाग में स्थानान्तरित करके श्री मुकेश भटनागर, आईटीएस को दिनांक 09 अक्टूबर, 2009 के पूर्वाह्न से अगला आदेश होने तक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान जमा 10,000/- रुपए के ग्रेड वेतन में अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के रूप में नियुक्त किया जाता है।

आर. के. मित्रा, निदेशक

दिनांक 3 नवम्बर 2009

सं. ए.-19011/23/2009-ई. I--राष्ट्रपति द्वारा श्रीमती देवकी को दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 के अपराह्न से अगला आदेश होने तक वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान + 8,700/- रुपए ग्रेड वेतन में निदेशक (राजभाषा) के पद पर नियुक्त किया जाता है।

आर. के. मित्रा, निदेशक

नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर 2009

सं. ए.-19011/22/2009-स्था. I--राष्ट्रपति द्वारा श्री अरविन्द मेहता, आईएएस (हि. प्र.: 84) को दिनांक 29 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से अगले पाँच वर्षों की अवधि के लिए अथवा अगला आदेश होने तक, जो भी पहले हो, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में 37,400--67,000/- रुपए +10,000/- रुपए ग्रेड पे के वेतन बैंड में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया जाता है।

एन. के. लखनपाल, अवर सचिव

दिनांक 10 नवम्बर 2009

सं. 4/2009 (फा. सं. ए.-12022/6/2008-ई. IV)--निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति द्वारा डॉ. सुशील कुमार सक्सेना को 37,400--67,000/- रु. के वेतनमान+10,000/- रु. के ग्रेड वेतन में निदेशक (क्वालिटी नियंत्रण एवं निरीक्षण), निर्यात निरीक्षण परिषद् (ईआईसी), नई दिल्ली के पद पर दिनांक 16 अक्टूबर 2009 (पूर्वाह्न) अर्थात् पदभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक के लिए नियुक्त किया जाता है।

एन. के. लखनपाल, अवर सचिव

औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 10 सितम्बर 2009

सं. ए.-12022/02/2005-व्या. I--राष्ट्रपति, श्रीमति अंजलि प्रसाद, भा. प्रशा. सेवा (यूके : 83) को 09 सितम्बर, 2009 के पूर्वाह्न से आगामी

आदेशों तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त करते हैं।

पी. भारद्वाज, अवर सचिव

दिनांक 7 अक्टूबर 2009

सं. ए.-45011/4/2008-स्था. I--इस विभाग की दिनांक 21 जनवरी, 2009 की समसंख्यक अधिसूचना में आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित नियमित सहायकों को इस विभाग के सी एस एस संवर्ग में पूर्णतः तदर्थ आधार पर दिनांक 01 जुलाई, 2009 से 31 दिसम्बर, 2009 तक (क्रम सं. 4 में अन्यथा दर्शाये गये अधिकारी के मामले को छोड़कर) अथवा नियमित अनुभाग अधिकारियों के उपलब्ध कराये जाने तक, जो भी पहले हो, अनुभाग अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	नाम	विभाग/कार्यालय का नाम जहाँ वर्तमान में तैनात है
1	2	3
	सर्वश्री	
1.	एच. एल. हसीजा	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
2.	डी. के. पांडे	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
3.	बबीता सक्सेना	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
4.	आर. एस. विष्ट	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग (31.08.2009 अर्थात् सेवानिवृत्ति की तारीख तक)
5.	गीता शर्मा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
6.	कुसुम नागपाल	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
7.	डी. एन. मिश्रा	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
8.	आर. के. सिकन्द	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
9.	लक्ष्मण दास (अनु. जा.)	भारी उद्योग विभाग
10.	सुशीला देवी (अनु. जा.)	भारी उद्योग विभाग
11.	भारत भूषण	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
12.	सोम नाथ	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
13.	वी. पी. गौड़	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
14.	जुगल किशोर	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग
15.	कांता रानी	भारी उद्योग विभाग
16.	वी. एस. यादव	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
17.	भक्ति लाल	भारी उद्योग विभाग
18.	बलबीर सिंह	औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग

Fax : 011-23748024
E-mail : eic@eicindia.gov.in
Web : www.eicindia.gov.in
ग्राम : निर्यातगुण
Grams : SHIPMENTQUALITY
दूरभाष : 23365540, 23341263, 23748189
Phone :



भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद्

(आई एस ओ 9001:2008 प्रमाणित संस्थान)
(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार)
तीसरी मंजिल, एन.डी.वाई.एम.सी.ए. कल्चरल सेंटर बिल्डिंग)
1 जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110 001

EXPORT INSPECTION COUNCIL OF INDIA

(An ISO 9001:2008 Certified Organisation)
(Ministry of Commerce & Industry, Govt. of India)
3rd Floor, NDYMCA Cultural Centre Building,
1 Jai Singh Road, New Delhi - 110001

सं.निनिप/डी (क्यू/सी) /RTI/2013-14/ 4477-85479
No. EIC/D (Q/C)

दिनांक : 6th September, 2013

SPEED POST Dated :

To
Shri Praveen Sakhuja
LD-119, SFS Flats
Pitampura, Delhi-110088

Subject: Your RTI Application dated 10.07.2013 [EIC-13-76] for seeking information regarding Gazette notification of Dr. Saxena to post of Director and Gazette copy of Export Inspection Agency Employees (Control, Classification and Appeal) Rules, 1978 and amendments.

Sir,


Please refer to your RTI application dated 10.07.2013 addressed to this office, received through EIA-Delhi vide their letter No.EIA/RTI/2013/1205 dated 12.07.2013, requesting for information regarding Gazette notification of Dr. Saxena to post of Director and Gazette copy of Export Inspection Agency Employees (Control, Classification and Appeal) Rules, 1978 and amendments.

With reference to your request, point-wise reply is given below.

1. No such Gazette notification regarding Dr. S.K.Saxena as Director, EIC is available on record.
2. Gazette Notification S.O.43 dated 7th January, 1978 of Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978 along with all amendments is available on EIC's website at www.eicindia.gov.in [http://www.eicindia.gov.in/Knowledge-Repository/Legal/pdf/Export_Inspection_Agency.pdf]. However, a copy of the same is also enclosed.
3. Same as 2 above. Copy is enclosed as stated above.

In case you intend to prefer an appeal, as per Section 19 of the Right to Information Act, 2005, you may do so to Shri Rajiv Raizada, Additional Director & Appellate Authority at the above mentioned address, within 30 days of the receipt of this letter.

o/c

Yours faithfully,

(Parmod Siwach)
26/09/2013
Assistant Director & CPIO

Encl: As above

Copy to:

1. Shri Rajiv Raizada, Additional Director & Appellate Authority, EIC, New Delhi- for kind information.
2. Shri Rajvinder Singh, Deputy Director (I/C) & CPIO, EIA-Delhi- in reference to letter No. EIA/RTI/2013/1205 dated 12.07.2013.